

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व लोक अदालत शिविर बिजौलिया
कैम्प मकरेडी जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - श्री प्रवीण कुमार (RAS)

दायर तारीख 17.03.2011

वादपत्र संख्या 31/2011

- 1 मोहनलाल पुत्र घीसीलाल जाति बलाई मेघवाल निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियां
- 2 शांति पुत्री घीसीलाल जाति बलाई मेघवाल उम्र बालिग निवासी रेसुन्दा हाल भेरुपुरा तहसील बिजौलियां
- 3 देवराज पुत्र श्री किशन जाति बलाई उम्र नाबालिग मार्फत माता बाली पत्नि श्री किशन बलाई रेसुन्दा तहसील बिजौलियां
- 4 बाली पत्नि किशन जाति बलाई उम्र बालिग निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियां
- 5 ओमप्रकाश पिता उदा जाति बलाई उम्र बालिग निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियां
- 6 धर्मा पुत्र उदा जाति बलाई उम्र नाबालिग मार्फत माता छीतरी पत्नि उदा जाति बलाई निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियां
- 7 जेती पुत्री उदा जाति बलाई उम्र नाबालिग मार्फत माता छीतरी पत्नि उदा बलाई निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियां
- 8 छीतरी पत्नि उदा जाति बलाई उम्र बालिग निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियां

.....वादीगण

बनाम

1. जयलाल पुत्र गोकल जाति बलाई उम्र बालिग निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियां
2. दल्ला पुत्र गोकल जाति बलाई उम्र बालिग निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियां
3. जगन्नाथ पुत्र गोकल जाति बलाई उम्र बालिग निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियां
4. गोपाल पुत्र गोकल जाति बलाई उम्र बालिग निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियां
5. हरकु पत्नि स्व० गोकल जाति बलाई उम्र बालिग निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियां
6. श्रीमान् प्रबन्धक महोदय बैंक ऑफ बडोदा शाखा बिजौलियां
7. राजस्थान सरकार मार्फत तहसीलदार बिजौलियां

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53-88-188 रा०टी०एक्ट

-: निर्णय :-


दिनांक :- 12.06.2018

सक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53-88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 14.12.2017 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम रेसुन्दा पटवारी हल्का रेसुन्दा तहसील बिजौलियां की आराजी न० 131 रकबा 1 बीधा, 4 बिस्वा, आराजी न० 132 रकबा 2.17 बीधा, आराजी न० 133 रकबा 8 बिस्वा, आराजी न० 139 रकबा 2 बिस्वा, 140 रकबा 2 बिस्वा, कुल किता 5 रकबा 4.13 बीधा में वादीया का 1/2 हिस्सा दर्ज जमाबन्दी अनुसार विभाजन कर बाई मिट्स एवं बाउन्डस के आधार पर पक्षकरान की उपस्थिति में तैयार करने हेतु तहसीलदार बिजौलिया को आदेशित किया गया था। तहसीलदार बिजौलिया ने अपने

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
01	ओमप्रकाश, धर्मा, जेती पिता उदा छीतरी बेवा उदा, मोहन पिता घीसीलाल, देवराज पिता श्री किशन, ना0बा0ब0बि0 बाली, बाली बेवा श्री किशन, शांति पुत्री घीसीलाल, रहन बडोदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कास्या हिस्सा मोहन पिता घीसीलाल, छीतरी बेवा उदा, बाली बेवा श्री किशन, शांति पुत्री घीसीलाल बलाई।	रेसुन्दा	131 132 133 139	0-12 1-08 0-04 0-02	
	योग		किता 04	2-06	
02	जयलाल दल्ला जगन्नाथ पिता गोकल, अनिल नितेश सुमन पिकी पिता गोपाल, पुजा बेवा गोपाल, अनिल नितेश सुमन पिकी ना0बा0ब0बि0 माता पुष्पा बेवा गोपाल, हरकु बेवा गोकल बलाई सा0 देह खातेदार रहन जयलाल दल्ला पिता गोकुल मु0 हरकु बेवा गोकुल	रेसुन्दा	131 / 1 132 / 1 133 / 1 140	0-12 1-09 0-04 0-02	
	योग		किता 04	2-07	

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। वकील वादी निर्धारित नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प प्रस्तुत करें तब डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 (प्रवीण कुमार)
 उपखण्ड अधिकारी
 बिजौलिया
 कैम्प मकरेडी